अशोक पांडे

बनाम

भारत का सर्वोच्च न्यायालय टीएचआर, पंजीकृत, और अन्य

[2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 147]

11 अप्रैल, 2018

[ दीपक मिश्रा सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और डी. वाई. चंद्रचूड़ जे .जे. ]

भारत का संविधानः

अनुच्छेद- 32, 136, 145 न्यायपीठों का गठन करने और विभिन्न न्यायपीठों को काम आवंटित करने की सीजेआई की शक्ति.याचिकाकर्ता ने आदेश की मांग की पीठों के गठन के लिए ष्निर्धारित प्रक्रिया के विकास के लिए.मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे । जबकि एक संविधान पीठ जिसमें पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे और इस न्यायालय में विभिन्न पीठों को मामलों का आवंटन.आयोजित किया गयाः मांगी गई राहत गलत धारणा है। मैंडमस नियम बनाने की शक्ति वाले किसी निकाय या प्राधिकरण को नियम बनाने का निर्देश देने या उन्हें किसी विशेष तरीके से बनाने के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद द्वारा अधिकृत किया गया है। 145 प्रक्रिया के नियम बनाने के लिए.याचिकाकर्ता को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि इस न्यायालय की पीठों का गठन एक विशेष तरीके से किया जाए या इस न्यायालय के अलग.अलग विभाग होने चाहिए .मामलों और पीठों का गठन मुख्य न्यायाधीश के पास है अनन्य विशेषाधिकार इसके अलावा नियुक्ति के संदर्भ में वरिष्ठता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि एक न्यायाधीश को किन मामलों की सुनवाई करनी चाहिए.इस न्यायालय में नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश अनुच्छेद 124 उन मामलों का न्यायनिर्णयन करने के समान कर्तव्य के साथ निवेश किया जाता है जो न्यायालय में आते हैं और जिनके द्वारा सौंपे जाते हैं मुख्य न्यायाधीश.एक न्यायाधीश के रूप में अपनी क्षमता में मुख्य न्यायाधीश प्रथम अंतर न्यायाधीश होता हैः समकक्षों में प्रथम.अपने अन्य कार्यों के निर्वहन में भारत के मुख्य न्यायाधीश एक ऐसे पद पर आसीन हैं जो सुई जेनरिस है। अनुच्छेद 146 संस्थान के प्रमुख के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति की पुष्टि करता है। संवैधानिक न्यास के भंडार के रूप में मुख्य न्यायाधीश अपने आप में एक संस्था है । इस प्रकार अविश्वास की धारणा नहीं हो सकती है।

अनुच्छेद-32 याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की शुरुआत जिसके तहत उन्हें उच्च न्यायालय में प्रवेश करने से रोक दिया गया था l एक रिट याचिका में चुनौतीअनुच्छेद 32 आयोजित किया गयाः मूल कार्यवाही में न्यायिक आदेश की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अनुच्छेद 32 यदि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश से व्यथित थाए तो उसे अनुच्छेद तहत उपचार उपलब्ध थे। अनुच्छेद 136 जिस तरीके से याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की सुनवाई के लिए नियुक्त उच्च न्यायालय की पीठ पर आक्षेप लगाने की मांग की वह अनुचित है.इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ एक ऐसी कार्यवाही में लगाए गए लापरवाह आरोप जहां उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की शुद्धता मुद्दे में नहीं है और उस कार्यवाही के लिए आवश्यक पक्षकार हैं जो अदालत के समक्ष नहीं हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए याचिकाकर्ता वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी। उच्च न्यायालय के परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश पारित किया गया था। नाराज हुए याचिकाकर्ता ने पहले को परमादेश की एक रिट जारी करने की मांग की प्रत्यर्थी.भारत का सर्वोच्च न्यायालय पीठों के गठन और सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न पीठों को अधिकार क्षेत्र के आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया विकसित करने के लिएय और दूसरे प्रत्यर्थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पीठों के गठन के संबंध में निर्धारित नियम विकसित करने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरह बनाए गए नियमों की तर्ज पर उन्हें अधिकार क्षेत्र सौंपने के लिए अनिवार्य रिट जारी करने का भी अनुरोध किया।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कह।-

1.1 जिस तरीके से याचिकाकर्ता ने पीठ पर आक्षेप लगाने की मांग की है उससे अस्वीकृति व्यक्त की जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिसे याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की सुनवाई का काम सौंपा गया था। याचिकाकर्ता ने जो कहा है वह किसी न्यायिक आदेश पर आधारित या आधारित नहीं है। उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो आरोप लगाए हैं वे अनुचित हैं। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर वर्तमान कार्यवाही में कोई सवाल नहीं है। यदि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश से व्यथित था तो उसे अनुच्छेद 136 के तहत उपचार उपलब्ध थे। बार के सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता को सवाल करने से बेहतर पता होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही का संचालन। यह एक ऐसी कार्यवाही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए लापरवाह आरोपों का एक और उदाहरण है जहां उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की शुद्धता मुद्दे में नहीं है। उस कार्यवाही के लिए आवश्यक पक्ष अदालत के समक्ष नहीं हैं और हालांकि अनुच्छेद 32 के तहत मूल कार्यवाही में न्यायिक आदेश की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

1.2 न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान बनाम भारत संघ में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अधिकार की इस बाध्यकारी व्याख्या को देखते हुए याचिकाकर्ता जो राहत चाहता हैए वह स्पष्ट रूप

से गलत है। एक बात के लिएए यह एक अच्छी तरह से बसा हुआ है। सिद्धांत कि कोई भी अधिदेश किसी निकाय या प्राधिकरण को निर्देश देने के लिए जारी नहीं कर सकता है जो नियम बनाने या उन्हें एक विशेष तरीके से बनाने की शक्ति के साथ निहित है। उच्चतम न्यायालय को प्रक्रिया के नियम बनाने के लिए अनुच्छेद 145 के तहत अधिकृत किया गया है। माँगी गई प्रकृति के आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। इसी तरह याचिकाकर्ता को यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि इस न्यायालय की पीठों का गठन एक विशेष तरीके से किया जाना चाहिए या जैसा कि वे चाहते हैं कि इस न्यायालय के अलग.अलग विभाग होने चाहिए। पूर्व विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश की विशेषाधिकार शक्तियों के क्षेत्र में निहित है। (पैरा 11, 350-सी-ई)

1.3 मांगी गई राहत कानूनी और संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत है इसके दृष्टिकोण में एक मौलिक भ्रांति है याचिकाकर्ताए जिसे स्थगित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता एक बाध्यकारी नियम की स्थापना की मांग करता है जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश और उनके दो वरिष्ठ.अकेले सबसे अधिक सहयोगी शामिल होने चाहिए जबकि सुझाव स्वीकार किए जा सकते हैं। यह अनन्य में घुसपैठ करेगा पीठों का गठन करना और उन्हें मामले आवंटित करना मुख्य न्यायाधीश का कर्तव्य और अधिकार है। इसके अलावा याचिकाकर्ता एक गलत धारणा रखता प्रतीत होता है कि मामलों की कुछ श्रेणियों या कुछ अदालतों में केवल वरिष्ठ शामिल होने चाहिए.सबसे अधिक के संदर्भ में नियुक्ति। अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय में नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश अनुच्छेद 124 संविधान के 3 एस.सी. आर. के समान कर्तव्य के साथ निवेश किया गया है। ऐसे मामलों का न्यायनिर्णयन करना जो न्यायालय में आते हैं और मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे जाते हैं। नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता का इस बात से कोई लेना.देना नहीं है कि न्यायाधीश को किन मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। यह एक तय स्थिति है कि एक न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय अदालत के लिए बोलता है; सहमति या असहमति के मामले को छोड़कर संविधान अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालयों बार और प्रतिष्ठित न्यायविदों के बीच से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक शर्त रखता है। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि अनुच्छेद-124 (3) के तहत उस पद को धारण करने के लिए निर्धारित योग्यताएँ. एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे मामलों की सुनवाई करने का हकदार है और वास्तव में कर्तव्यबद्ध है जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे गए हैं। उच्च न्यायालयों से लिए गए न्यायाधीशों को लंबे वर्षों की सेवा के बाद इस न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। बार के सदस्य जिन्हें इसी तरह इस न्यायालय में पदोन्नत किया गया है उनके पास बार में अभ्यास के वर्षों के दौरान एकत्र किए गए व्यापक और विविध अनुभव हैं। यह सुझाव देना कि कोई भी न्यायाधीश विशेष मामलों का निर्णय लेने में अधिक सक्षम होगा या कि कुछ श्रेणियों के मामलों को केवल वरिष्ठों को सौंपा जाना चाहिए.उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से अधिकांश का सिद्धांत रूप में कोई आधार नहीं है या पूर्ववर्ती अन्यथा ठहराना मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे गए सभी मामलों से निपटने के लिए अन्य न्यायाधीशों की क्षमता और क्षमता पर विचार करना होगा। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने पद पर

नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा अनिवार्य योग्यताओं को पूरा किया है। (पैरा-12 (350) एफ.एच 351-ए.ई)

1.4 उच्च न्यायालयों में पीठों के गठन के संबंध में प्रस्तुतियों में योग्यता की समान रूप से कमी है। जिला न्यायपालिका के संवर्ग से लिए गए न्यायाधीशों के खिलाफ किए जाने वाले आक्षेप अस्वीकृत हैं। संविधान ने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 217 (2) में विशिष्ट प्रावधान किए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तैयार किए गए बार से या उन लोगों से जिन्होंने कम से कम दस वर्षों तक न्यायिक पद संभाला है वे अनुच्छेद 217 के तहत अपनी नियुक्ति पर न्यायालय के न्यायाधीशों के समान कार्यों का निर्वहन करते हैं। यह कहना कि दोनों के बीच अंतर है संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। ( पैरा-13 (351.ई.जी)

1.5 एक न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एक ऐसे पद पर आसीन हैं जो सुई जेनरिस है। अनुच्छेद 124 (1) में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अनुच्छेद 146 संस्थान के प्रमुख के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति की पुष्टि करता है। संस्थागत दृष्टिकोण से इसके अस्तित्व के लिए तर्क संस्थान के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश को कार्य सौंपने का उद्देश्य है l व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र सुरक्षा के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति को सुरक्षित करना अविश्वास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पद की शपथ कुछ भी कम नहीं मांगती है। ( पैरा 15 (353) ए.ई)

1.6 याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कुछ कथन इस प्रकार हैं निंदनीय हालाँकि इस मामले को इस सावधानी के साथ विराम देने की अनुमति देना उचित है कि याचिकाकर्ता को भविष्य की फाइलिंग में अभिवचनों का मसौदा तैयार करने के तरीके के लिए अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। (पैरा 16 (354)ए)

राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद (1998) 1 एससीसी 1

'न्यायिक जवाबदेही और सुधारों के लिए अभियान अ भारत संघ (2018) 1 एससीसी 196.संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

| | | |
|---|---|---|
| (1998 )1 एससीसी 1 | संदर्भित किया गया है | पैरा 9 |
| (2018 ) 1 एसण् सीण् सी 19 | संदर्भित किया गया | पैरा 10 |

मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं 147/2018 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से-न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था (डी वाई चंद्रचूड़ जे) याचिकाकर्ता जो बार के सदस्य

हैं ने एक उत्साही व्यक्ति होने का दावा करते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन कार्यवाही की शुरुआत की है। उनका कहना है कि वे ष्संविधान के क्षेत्र में विद्वान हैं और उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और इस न्यायालय में भी जनहित में लगभग दो सौ याचिकाएं दायर की हैं। वे जो राहत चाहते हैं वे इस न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठों के गठन के संबंध में हैं। इन कार्यवाहियों में जो माँगा गया है उसे राहत के लिए की गई दो प्रार्थनाओं में दर्शाया गया है जो नीचे दी गई हैं-

(क) प्रथम प्रत्यर्थी ; सर्वोच्च को अनिवार्य लिखित आदेश जारी करना। भारत का न्यायालय पीठों के गठन और सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न पीठों को अधिकार क्षेत्र के आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया विकसित करना। याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में एक विशिष्ट नियम रखने के लिए पहले उत्तरदाताओं को आदेश देता है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे और संवैधानिक पीठ में पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश या तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश और दो कनिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। याचिकाकर्ता यह भी चाहता है कि गठित करने के लिए प्रथम प्रत्यर्थी के लिए परमादेश।

सर्वोच्च भूमि विवाद न्यायालय

(ख) याचिकाकर्ता दूसरे प्रत्यर्थी यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ निर्धारित नियम विकसित करने के लिए अनिवार्य रिट की भी मांग करता है।
पीठों के गठन और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार बनाए गए नियमों के अनुरूप उन्हें अधिकारिता सौंपने के संबंध में नियम में यह भी शामिल होना चाहिए कि अधिवक्ता न्यायाधीशों की पीठ होगी। संविधान के अनुच्छेद-217 (3) के पात्रता मानदंड संख्या एक से आने वाले अधिवक्ता न्यायाधीशों और सेवा न्यायाधीशों की पीठ के साथ गठित न्यायाधीश जिला न्यायपालिका से नहीं आते हैं।

2. याचिकाकर्ता की कई शिकायतें हैं जिनमें से कई उसके लिए व्यक्तिगत हैं। याचिका में निहित कथनों से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को एक आदेश से शिकायत है जो उच्च न्यायालय के परिसर में उसके प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पारित किया गया था। उनके आरोपों की प्रकृति निम्नलिखित में स्पष्ट है -

*एक न्यायाधीश के दुर्व्यवहार के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने के आरोप में अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश ने मेरे मामले को श्री सुधीर अग्रवाल जे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। उन्होंने एक अधिवक्ता न्यायाधीश के साथ बैठकर मुझे सुनवाई की पहली ही तारीख को अवमानना मामले में निर्धारित तिथि को छोड़कर उच्च न्यायालय में मेरे प्रवेश पर रोक लगाने की धमकी दी लेकिन दूसरी तारीख के रूप में न्यायाधीश सहमत नहीं थे और इसलिए वह आदेश पारित नहीं कर

सके लेकिन के रूप में उस पर बैठे न्यायाधीश भी सहमत नहीं हुए और अभ्यास से निलंबन का आदेश पारित नहीं किया जा सका और इसलिए उन्होंने अगली तारीख को तीसरे न्यायाधीश के साथ पीठ के गठन का प्रबंधन किया। वह जिला अदालत से आने वाले न्यायाधीश थे। वह निलंबन का आदेश पारित करने के लिए सहमत हो गए और इसलिए याचिकाकर्ता को अभ्यास से निलंबित कर दिया गया और उच्च न्यायालय में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा हुआ जैसे आपराधिक मामलों को सौंपे गए नियमित पीठ का स्थान प्रचलित रोस्टर के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने श्री सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ को नामित किया।

3. याचिकाकर्ता ने तब इस बारे में अपने सुझाव दिए हैं कि इस न्यायालय की पीठों का गठन कैसे किया जाना चाहिए। उनका सुझाव है कि उच्च न्यायालय में भी इसी सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।

4. शुरुआत मेंए हमें उस तरीके के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करनी चाहिए जिसमें याचिकाकर्ता ने पीठ पर आक्षेप लगाने की मांग की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिसे याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की सुनवाई का काम सौंपा गया था। याचिकाकर्ता के पास क्या हैस यह किसी भी न्यायिक आदेश पर आधारित या आधारित नहीं है। उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो आरोप लगाए हैं वे अनुचित हैं। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर वर्तमान कार्यवाही में कोई सवाल नहीं है। यदि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश से व्यथित था तो उसे अनुच्छेद 136 के तहत उपचार उपलब्ध थे। बार के सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही के संचालन पर सवाल उठाने से बेहतर पता होना चाहिए। यह एक ऐसी कार्यवाही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए जा रहे लापरवाह आरोपों का एक और उदाहरण है जहां उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की शुद्धता मुद्दे में नहीं हैय उस कार्यवाही के लिए आवश्यक पक्ष अदालत के समक्ष नहीं हैं और हालांकि अनुच्छेद 32 के तहत मूल कार्यवाही में न्यायिक आदेश की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

5. हम अब उस राहत से निपटेंगे जो प्रार्थना के संदर्भ में मांगी गई है। याचिकाकर्ता पीठों के गठन और विभिन्न पीठों को मामलों के आवंटन के लिए एक ष्निर्धारित प्रक्रिया के विकास की मांग करता है। यह न्यायालय दूसरा उसी प्रार्थना के हिस्से के रूप में याचिकाकर्ता इस न्यायालय की प्रक्रिया के नियमों में एक नियम बनाने के लिए एक आदेश की मांग करता है ताकि मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हों जबकि एक संविधान पीठ में पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश या तीन श्वरिष्ठतम न्यायाधीश और दो श्कनिष्ठतम न्यायाधीश होने चाहिए। तीसरा याचिकाकर्ता इस न्यायालय के विभाजन की मांग करता है जिसे वह एक के रूप में वर्णित करता है सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय जनहित याचिका कर सेवा भूमि विवाद और विविध मामलों ;आदि की सुनवाई के लिए समान प्रभागों के साथ।

6. उच्चतम न्यायालय के नियम 2013 को अधिसूचित किया गया है . संविधान के अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रपति का अनुमोदन अनुच्छेद 145 इस प्रकार कहता हैः

145. (1) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय समय.समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से आम तौर पर प्रथा को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

(क) न्यायालय के समक्ष वकालत करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम
(ख) अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया और अपीलों से संबंधित अन्य मामलों के बारे में नियम जिसमें अपील करने का समय भी शामिल है न्यायालय में प्रवेश किया जाना है।

(ग) भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में कार्यवाही के बारे में नियम l न्यायालय में कार्यवाही के बारे में नियम 2 के अधीन अनुच्छेद 139-क l

(घ) अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) के तहत अपीलों के मनोरंजन के बारे में नियम (ङ) उन शर्तों के बारे में नियम जिनके अधीन न्यायालय द्वारा घोषित किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा की जा सकती है और इस तरह की समीक्षा के लिए प्रक्रिया जिसमें वह समय भी शामिल है जिसके भीतर इस तरह की समीक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन दर्ज किए जाने हैं।

(च) न्यायालय में किसी भी कार्यवाही की लागत और आनुषंगिक और कार्यवाही के संबंध में ली जाने वाली फीस के बारे में नियम।

(छ) जमानत देने के संबंध में नियम।

(ज) कार्यवाहियों पर रोक लगाने के बारे में नियम।

(प) किसी भी अपील के संक्षिप्त निर्धारण के लिए प्रावधान करने वाले नियम जो न्यायालय को तुच्छ या परेशान करने वाली या देरी के उद्देश्य से लाई गई प्रतीत होती है।

(स) अनुच्छेद 317 के खंड (1) में निर्दिष्ट पूछताछ की प्रक्रिया के बारे में नियम।

(2) न्यायालय के नियम आदि और प्रभाग न्यायालय।

(3) इस संविधान की व्याख्या के बारे में कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी मामले का निर्णय लेने के उद्देश्य से या अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पांच होगी बशर्ते किए जहां न्यायालय अनुच्छेद 132 के अलावा इस अध्याय के किसी भी प्रावधान के तहत अपील की सुनवाई करता है उसमें शामिल हैं। पाँच न्यायाधीशों से कम और अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय संतुष्ट है कि अपील में एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है इस तरह की राय के अनुरूप।

(4) उच्चतम न्यायालय द्वारा खुला न्यायालय के अलावा कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा और अनुच्छेद 143 के तहत कोई रिपोर्ट नहीं दी जाएगी खुले न्यायालय में भी दी गई राय के अनुसार।

(5) उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति के अलावा कोई निर्णय या ऐसी कोई राय नहीं दी जाएगी लेकिन इस खंड में कुछ भी नहीं है। ऐसा समझा जाएगा कि वह एक ऐसे न्यायाधीश को रोकता है जो असहमतिपूर्ण निर्णय या राय देने से सहमत नहीं है।

7. सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 का आदेश प्रभाग न्यायालयों के प्रवर्तन और एकल न्यायाधीश की शक्तियों से संबंधित है। नियम 1ए2ए4 इस प्रकार प्रदान करेंः

1. इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कारण अपील या मामले की सुनवाई एक ऐसी पीठ द्वारा की जाएगी जिसमें कम से कम नहीं मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित दो से अधिक न्यायाधीश।

2. जहाँ किसी कारण की सुनवाई के दौरानए अपील या अन्य कार्यवाही पीठ का मानना है कि मामला होना चाहिए यह मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजेगाए जो इसके बाद इसकी सुनवाई के लिए ऐसी पीठ का गठन करेगा।

3. यदि तीन से कम न्यायाधीशों की पीठए किसी कारणए अपील या मामले की सुनवाई करते हुए यह राय रखती है कि अभियुक्त को मौत की सजा दी जानी चाहिएए तो वह मामले को मुख्य न्यायाधीश को भेजेगीए जो उसके बाद कम से कम तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन करे-

1. यह इंगित करता है कि यह मुख्य न्यायाधीश है जो न्यायाधीशों को नामित करेगा वह किसी कारण अपील या मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगा। जहां एक बड़ी पीठ को निर्देश दिया गया हैए वहां निर्देश देने वाली पीठ को मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजने की आवश्यकता होती है जो एक बेंच लगाएँ।

8. उच्चतम न्यायालय नियम 2013 का आदेश अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए प्रावधान आदेश इस प्रकार प्रदान करता हैः

(1) लिखित और कम से कम पाँच न्यायाधीशों के एक प्रभाग न्यायालय द्वारा सुना जाएगा बशर्ते कि एक याचिका जो पर्याप्त नहीं उठाती है संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का प्रश्न हो सकता पाँच से कम न्यायाधीशों के एक प्रभाग न्यायालय द्वारा सुना और निर्णय लिया गया और छुट्टियों के दौरान छुट्टी न्यायाधीश द्वारा अकेले बैठे।

(2) संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका से जुड़े सभी अंतर्वर्ती और विविध आवेदनों की सुनवाई और निर्णय पांच से कम न्यायाधीशों के एक प्रभाग न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और छुट्टी के दौरान अकेले बैठे अवकाश न्यायाधीश द्वारा भले ही याचिका में संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया हो।

नियम 12 जनहित याचिका से संबंधित है नियम 12 निकाला गया है।

12 (1) एक जनहित याचिका शुरू हो सकती है निम्नलिखित में से कोई भी शिष्टाचारः

(क) प्रमुख के आदेश के अनुसरण में स्वतः संज्ञान याचिका के रूप में न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश।

(ख) मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी पत्र या अभ्यावेदन पर नामित।

(ग) किसी याचिका को जनहित के रूप में मानने के लिए न्यायालय के आदेश द्वारा मुकदमा याचिका।

(घ) न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करके।

(2) उप.नियम (1) के खंड (घ) के तहत दायर याचिका में याचिकाकर्ता

(प) खुलासा करनाः

(क) उसका पूरा नाम पूरा डाक पता, ई.मेल पता, फोन संख्या, व्यक्तिगत पहचान, व्यवसाय के संबंध में प्रमाण और वार्षिक आय, पैन संख्या और राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, यदि कोई हो।

(ग) जनता को हुई या होने की संभावना वाली चोट की प्रकृति।

(घ) याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत हित की प्रकृति और सीमा यदि कोई हो।

(ङ) किसी दीवानी,आपराधिक या राजस्व मुकदमे के संबंध में विवरण, याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ताओं में से कोई भी शामिल है, जिसके पास है या जनता में शामिल मुद्दे ;ओंद्ध के साथ कानूनी संबंध हो सकता है ब्याज मुकदमा।

(3) न्यायालय याचिकाकर्ता पर अनुकरणीय लागत लगा सकता है यदि वह पाता है कि याचिका तुच्छ थी या तिरछी या तिरछी थी। दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य या प्रामाणिकता का अभाव।

9. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति को राजस्थान राज्य में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्पष्ट किया गया था। निर्णय के दौरान प्रमुख की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष तैयार किए गए थे -

(1) कि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण केवल मुख्य न्यायाधीश में निहित है। हालाँकि न्यायिक पक्ष में वह केवल बराबर के बीच पहले।

(2) कि मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ द रोस्टर है। उसके पास ही न्यायालय की पीठों का गठन करने और इस प्रकार गठित पीठों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार है।

(3) कि कनिष्ठ न्यायाधीश केवल वही काम कर सकते हैं जो उन्हें आवंटित किया गया है मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनके निर्देशों के तहत।

(4) कि जब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया कोई भी निर्णय कायम नहीं रहता हैए तब तक कोई भी न्यायाधीश जिसे अकेले बैठना है डिवीजन बेंच में नहीं बैठ सकता है और किसी भी डिवीजन बेंच को बेंच का गठन करने वाले न्यायाधीशों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। स्वयं और ऐसी न्यायपीठ का गठन करने वाले एक या दोनों न्यायाधीश अकेले बैठें और किसी अन्य प्रकार का न्यायिक कार्य न करें। अन्यथा मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनके निर्देशों के तहत उन्हें सौंपा गया।

(5) कि मुख्य न्यायाधीश नियम 55 ;ऊपर दिए गए के तहत अपने समक्ष रखे गए आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं और किसी मामले को इसके निपटारे के लिए बड़ी पीठ और वह इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है यहाँ तक कि आंशिक सुनवाई वाले मामले के संबंध में भी।

(6) कि कनिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायालय में लंबित किसी भी मामले को ष्चुन और चुन नहीं सकते हैं और इसे मुख्य न्यायाधीश के उचित आदेश के बिना निपटारे के लिए खुद को सौंप सकते हैं।

(7) कि कोई भी न्यायाधीश या न्यायाधीश रजिस्ट्री को अपने या उनके समक्ष किसी भी मामले को सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश नहीं दे सकता है जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत है।

10. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र और अधिकार के संबंध में इस न्यायालय के निर्णय में जिस सिद्धांत पर ध्यान दिया गया था और जिसे मान्यता दी गई थीए उसे इस संबंध में उचित रूप से लागू होना चाहिए।भारत के मुख्य न्यायाधीश ष्। मुख्य न्यायाधीश की स्थिति निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ दोहराई गई-

* यद्यपि उपरोक्त स्थिति उच्च न्यायालय के संबंध में बताई गई हैए हम पूरी तरह से निश्चित हैं कि उक्त सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय पर लागू होता है। हम ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं। जब तक ऐसी स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाती तब तक पूरी तरह से भ्रम होगा। यह ध्यान दिया जाए कि यह इस न्यायालय की परंपरा भी रही है और यह परंपरा कानून के कारण रही है। हमें बिना किसी हिचकिचाहट के यह स्पष्ट करना होगा कि कानून के सिद्धांतों और न्यायिक अनुशासन और शिष्टाचार के कारण परंपरा का पालन किया जाता है। एक बार जब मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है तो उसके पास ही पीठों का गठन करने का विशेषाधिकार होता है। कहने की जरूरत नहीं है कि न तो दो.न्यायाधीशों की पीठ और न ही तीन.न्यायाधीशों की पीठ मामले को अपने लिए आवंटित कर सकती है या इसके लिए रचना का निर्देश दे सकती है। एक पीठ का गठन विस्तार से भारत के मुख्य न्यायाधीश को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है कि इस पर कौन

बैठेगा। पीठ या कौन इस मामले को उठाएगा क्योंकि यह मामले को छूता है बेंच की संरचना। हम दोहराते हैं कि इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यह कानून में मान्य नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। एक संस्थान को कुछ मापदंडों के भीतर काम करना पड़ता है और यही कारण है कि इसके उदाहरण नियम और परंपराएं हैं। जहाँ तक पीठों की संरचना का संबंध हैए हम प्रकाश चंद ख्राजस्थान राज्य बनाम राजस्थान, में बताए गए सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। प्रकाश चंदए (1998) 1 एस सी सी 1 जो उच्च न्यायालय के संदर्भ में कहा गया था और स्पष्ट रूप से कहता है कि वही सर्वोच्च न्यायालय पर पूरी तरह से लागू होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसी विशेष बेंच न्यायालय का गठन करने का निर्देश देने वाला किसी भी प्रकार का आदेश या आदेश नहीं हो सकता है।

11. भारत के मुख्य न्यायाधीश के अधिकार की इस बाध्यकारी व्याख्या को देखते हुएए याचिकाकर्ता जो राहत चाहता है वह स्पष्ट रूप से है याचिकाकर्ता का दृष्टिकोण जिसे विराम दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता एक बाध्यकारी नियम की स्थापना की मांग करता है जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश और उनके दो वरिष्ठ.सबसे अधिक सहयोगी शामिल होने चाहिएए जबकि संविधान पीठ इसमें पाँच वरिष्ठ.अधिकांश न्यायाधीश ;या जैसा कि वे सुझाव देते हैं तीन श्वरिष्ठतमश् और दो श्कनिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होने चाहिए। ऐसा कोई संवैधानिक आधार नहीं है जिसके आधार पर इस तरह के सुझाव को स्वीकार किया जा सके। एक बात के लिएए जैसा कि हमने पहले देखा हैए यह पीठों का गठन करने और उन्हें मामले आवंटित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के अनन्य कर्तव्य और अधिकार में हस्तक्षेप करेगा।

12. इसके अलावा याचिकाकर्ता को यह गलत धारणा प्रतीत होती है कि कुछ श्रेणियों के मामलों या कुछ अदालतों में केवल वरिष्ठ शामिल होने चाहिए.नियुक्ति के मामले में सबसे अधिक। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इस न्यायालय में नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश को समान कर्तव्य के साथ निवेश किया जाता है। न्यायनिर्णायक मामले जो न्यायालय में आते हैं और न्यायालय द्वारा सौंपे जाते हैं मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता का इस बात से कोई लेना.देना नहीं है कि न्यायाधीश को किन मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। यह एक तय स्थिति है कि एक न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय अदालत के लिए बोलता है; सहमति या असहमति के मामले को छोड़कर संविधान अनुच्छेद 124 (3) में उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक शर्त रखता है। अदालतों से बार से और प्रतिष्ठित न्यायविदों से उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है किअनुच्छेद 124 (3) के तहत उस पद को धारण करने के लिए निर्धारित योग्यताएँ। एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे मामलों की सुनवाई करने का हकदार है और वास्तव मेंए कर्तव्यबद्ध है जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे गए हैं। उच्च न्यायालयों से लिए गए न्यायाधीशों को लंबे वर्षों के बाद इस न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। सेवा से बार के सदस्य जिन्हें इसी तरह इस न्यायालय में पदोन्नत किया गया है उनके पास बार में अभ्यास के वर्षों के दौरान एकत्र किए गए व्यापक और विविध अनुभव हैं। यह सुझाव देना कि कोई भी न्यायाधीश विशेष मामलों का

निर्णय लेने में अधिक सक्षम होगा या कि कुछ श्रेणियों के मामलों को केवल वरिष्ठों को सौंपा जाना चाहिए.उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से अधिकांश का सिद्धांत या मिसाल में कोई आधार नहीं है। अन्यथा पकड़ रखना क्षमता और क्षमता पर एक प्रतिबिंब डालना होगा मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे गए सभी मामलों से निपटने के लिए अन्य न्यायाधीश इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने पद पर नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा अनिवार्य योग्यताओं को पूरा किया है।

13. याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ उच्च न्यायालयों में पीठों के गठन के संबंध मेंए उपरोक्त चर्चा को देखते हुए योग्यता में समान रूप से कमी है। हम जिला न्यायपालिका के कैडर से लिए गए न्यायाधीशों के खिलाफ किए जाने वाले आक्षेपों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। संविधान ने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 217 (2) में विशिष्ट प्रावधान किए हैं। बार या कम से कम दस साल तक न्यायिक पद पर रहने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के तहत अपनी नियुक्ति पर न्यायालय के न्यायाधीशों के समान कार्यों का निर्वहन करते हैं। सुझाव है कि दोनों के बीच अंतर संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है।

14. इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के चार्टर्ड उच्च न्यायालयों का एक सौ पचास से अधिक वर्षों का लंबा इतिहास रहा है। उनमें से प्रत्येक ने अपनी डेढ़ सौवीं वर्षगांठ मनाई है। कई उच्च न्यायालय पुराने दौर में बहुत पीछे नहीं हैं। कुछ हाल ही में उत्पन्न हुए हैं। अपने न्यायिक इतिहास के दौरानए उच्च न्यायालयों ने मामलों में परंपराएं विकसित की हैं शासन अभ्यास और प्रक्रिया। ये सम्मेलन मुख्य न्यायाधीश को कार्य के आवंटन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जिसमें पीठों का गठन भी शामिल है। उच्च न्यायालय समय.समय पर मुख्य न्यायाधीश के अधिकार के तहत कार्य सूची प्रकाशित करते हैं। रोस्टर बेंच डिवीजन और सिंगल के गठन को इंगित करता है। रोस्टर प्रत्येक पीठ को सौंपे गए मामलों की विषय वस्तु को इंगित करेगा। विभिन्न उच्च न्यायालयों की उस अवधि के संबंध में अपनी परंपराएं हैं जिसके लिए प्रकाशित रोस्टर जारी रहेगाए जब तक कि एक नया रोस्टर अधिसूचित नहीं किया जाता है। विशेषज्ञता के मामले में व्यक्तिगत न्यायाधीशों की अपनी ताकत होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य के आवंटन पर निर्णय लेते समय प्रत्येक न्यायाधीश की विशेषज्ञता के क्षेत्र को ध्यान में रखना होगा। हालाँकिए विशेषज्ञता उन कई पहलुओं में से एक है जो मुख्य न्यायाधीश के लिए महत्वपूर्ण है। नवनियुक्त न्यायाधीश न्यायाधीश को कानून की विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में घुमाया जा सकता है। आवश्यकता के साथ सेवामुक्त होने के कारण पद रिक्त होने पर किसी अन्य पीठ को सौंपा जाना चाहिए। ये कुछ विचार हैं जो दिमाग में रखा मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के सुव्यवस्थित कामकाज और मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से निर्देशित होते हैं। उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों पर रोस्टर का प्रकाशन मुख्य न्यायाधीश के अधिकार के तहत न्यायिक कार्यों के वितरण के बारे में वादियों और वकीलों को नोटिस प्रदान करता है। इस न्यायालय का गठन 1950 में किया गया था। रोस्टर तैयार करने और न्यायिक कार्यों के वितरण में उच्च

न्यायालयों में अपनाए गए कुछ सम्मेलन भी प्रासंगिक हैं जो संस्थागत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधनों के अधीन हैं।

15. इस दलील के आधार पर कि पीठों का गठन और मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामलों के आवंटन को अशोक पांडे बनाम द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। लोहे में डाली गई प्रक्रिया यह आशंका है कि ऐसी प्रक्रिया के अभाव में शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से किया जाएगा। एक न्यायाधीश के रूप मेंए मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बराबर के बीच पहला अपने अन्य कार्यों के निर्वहन में भारत के मुख्य न्यायाधीश एक ऐसे पद पर आसीन हैं जो सुई जेनरिस है। अनुच्छेद 124 (1) में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अनुच्छेद 146 (3) संस्थान के प्रमुख के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति की पुष्टि करता है। संस्थागत दृष्टिकोण से मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पर रखा जाता है। मामलों के आवंटन और पीठों के गठन में मुख्य न्यायाधीश के पास एक विशेष अधिकार होता है।अपने आप में एक संस्था। यह याद रखना चाहिए कि जो अधिकार मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता हैए वह एक उच्च संवैधानिक व्यवस्था में निहित होता है। कार्यकर्ता, यह अधिकार मुख्य न्यायाधीश को सौंपा गया है क्योंकि न्यायालय के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य के कुशल लेन.देन के लिए कार्यों को सौंपना आवश्यक है। अंतिम उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश को अधिकार सौंपने के पीछे यह सुनिश्चित करना है कि सर्वोच्च न्यायालय उन संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और उनका निर्वहन करने में सक्षम है जो इसके अस्तित्व के लिए शासन और तर्क प्रदान करते हैं। संस्थान के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश को कार्य सौंपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र सुरक्षा के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति को सुरक्षित करने के उद्देश्य से है। वहाँ अविश्वास का अनुमान नहीं हो सकता है पद की शपथ कुछ भी कम नहीं मांगती है।

16. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कुछ कथन निंदनीय हैं। हालाँकि हमने इस सावधानी के साथ मामले को शांत करने की अनुमति देना उचित समझा है कि याचिकाकर्ता को भविष्य की फाइलिंग में अभिवचनों का मसौदा तैयार करने के तरीके के लिए अधिक जिम्मेदार होना चाहिए।

17. उपरोक्त कारणों से हम याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

निधि जैन